

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 221/2017-18

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

घसिया मुण्डा

- विक्रेता

जोहन आईन्द

- क्रेता

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|------------------------------|--------------------------------|--|

11.08.18

आदेश

आवेदक घसिया मुण्डा पिता राम मुण्डा ग्राम जियारप्पा, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने जोहन आईन्द पिता जेन आईन्द ग्राम जियारप्पा, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्र य हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

| ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा (एकड़ में) |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------------|
| जियारप्पा | 227 | 05 | 2063 | 0.20 |

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, निबंधन पट्टा एवं लगान की रसीद सं० 1507717644 एवं 1499170357 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 480 दिनांक 21.12.2017 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खरीदगी है। खतियानी रैयत का नाम कईला मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार घसिया मुण्डा पिता राम मुण्डा के नाम रकबा 1.21 एकड़ है। आवेदक के पास अन्य खाता 23 एवं 24 रकबा 23.14 एकड़ एवं 1.21 एकड़ कुल रकबा 24.35 एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 9214.00(नौ हजार दो सौ चौदह)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 24.15 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण घसिया मुण्डा पिता राम मुण्डा को जोहन आईन्द पिता जेन आईन्द के साथ ग्राम जियारप्पा के खाता सं० 05 खेसरा संख्या 2063 का रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 9214.00(नौ हजार दो सौ चौदह)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।